भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1114
(08 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों के लिए मकानों का निर्माण

1114. श्री एम. सेल्वराजः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए मकानों के निर्माण का प्रस्ताव किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित, जारी की गई और कितना व्यय किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक सभी परिवारों हेतु मकानों के निर्माण के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी परिवार जिनके पास मकान नहीं हैं और उन परिवारों को जो कच्चे तथा जर्जर मकानों में रह रहे हैं उन्हें पक्के मकान प्रदान करना है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल निर्धारित लक्ष्य मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त महात्मा

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तालमेल से इसके अंतर्गत 90 श्रम दिवसों (पहाड़ी राज्यों , दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 95 श्रम दिवसों) की अकुशल श्रम मजदूरी प्रदान की जाती है।

(ख): वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित, रिलीज की गई और व्यय की गई कुल राशि (राज्य अंश सहित) का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य का उद्देश्य मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित 2,62,34,163 मकानों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में कुल 2,17,54,812 मकानों को स्वीकृति दी गई है और दिनांक 02.02.2022 तक 1,71,34,737 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मार्च, 2022 तक 1.85 करोड़ मकानों के निर्माण और मार्च , 2024 तक 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रस्ताव है।

*****

अनुबंध

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1114 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वर्षों यानी 2018-19 से 2020-21 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत कुल केंद्रीय आवंटन, केंद्रीय रिलीज और खर्च (राज्य के हिस्से सहित) का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19			2019-20			2020-21		
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	उपयोग	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय रिलीज	उपयोग	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय रिलीज	उपयोग
1	**अरुणाचल प्रदेश**	0.00	0.00	0.00	87.75	0.00	0.40	179.26	0.00	5.97
2	**असम**	0.00	244.08	1,149.68	2,995.70	1,433.97	2,046.75	4,281.92	1,503.43	1,269.44
3	**बिहार**	0.00	4,449.32	5,602.96	9,518.21	4,902.97	8,265.94	5,808.23	6,683.93	10,004.38
4	**छत्तीसगढ**	2,688.66	2,636.95	3,878.28	1,812.65	562.55	989.82	1,136.27	307.13	983.82
5	**गोवा**	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.80	9.22	0.00	0.53
6	**गुजरात**	0.00	682.20	826.79	771.12	385.56	798.10	804.78	192.78	495.64
7	**हरियाणा**	0.00	28.40	44.68	0.00	34.55	63.35	8.99	0.00	13.27
8	**हिमाचल प्रदेश**	0.00	14.69	34.73	10.53	0.00	11.10	47.90	10.62	23.40
9	**जम्मू और कश्मीर**	0.00	226.83	186.14	735.89	67.69	221.42	749.93	795.86	599.35
10	**झारखंड**	1,087.55	1,733.52	2,749.38	2,452.39	2,442.76	3,396.56	3,208.21	3,348.51	3,750.22
11	**केरल**	0.00	0.00	42.51	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	25.05
12	**मध्य प्रदेश**	4,322.95	4,250.43	7,297.33	4,416.62	2,291.98	4,176.03	4,630.11	4,565.80	4,068.96
13	**महाराष्ट्र**	519.55	1,135.53	1,956.08	2,617.66	1,815.33	1,924.77	2,916.55	1,310.10	2,433.50
14	**मणिपुर**	0.00	4.30	49.97	104.13	10.30	12.83	185.35	84.89	93.49
15	**मेघालय**	0.00	126.21	106.60	201.24	22.60	57.97	301.06	191.08	185.54
16	**मिजोरम**	0.00	29.24	7.62	17.55	0.00	31.80	135.50	16.16	13.82
17	**नागालैंड**	0.00	0.00	39.03	69.03	0.00	15.25	117.02	17.40	2.12
18	**ओडिशा**	2,023.35	3,290.32	4,577.35	5,201.36	2,197.33	5,460.06	1,517.02	2,821.87	4,556.46
19	**पंजाब**	0.00	0.00	128.58	72.00	0.00	36.01	0.00	49.22	59.10
20	**राजस्थान**	1,596.47	2,340.13	3,159.20	3,245.88	2,933.34	2,923.49	3,119.80	1,108.59	3,679.45
21	**सिक्किम**	0.00	0.00	4.22	0.00	0.65	0.37	3.04	0.00	0.28
22	**तमिलनाडु**	157.25	502.80	1,353.68	1,440.00	487.52	996.93	0.00	78.62	672.61

23	त्रिपुरा	0.00	7.66	82.56	337.40	229.52	210.50	0.00	113.62	98.30
24	उत्तर प्रदेश	2,335.93	2,775.86	4,773.28	1,298.50	1,145.64	2,207.35	5,274.66	4,830.90	5,990.29
25	उत्तराखंड	0.00	95.98	60.27	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	1.31
26	पश्चिम बंगाल	4,441.82	4,372.85	7,759.23	7,908.65	5,976.00	8,854.41	6,743.29	8,810.54	10,037.60
27	अण्डमान और निकोबार	4.16	0.00	0.00	3.53	0.00	1.12	6.79	16.88	8.53
28	दादरा और नगर हवेली	55.98	9.47	9.06	0.00	55.98	23.33	0.00	0.00	33.46
29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.01
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	186.05	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	कर्नाटक	0.00	188.22	597.47	619.20	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	19,233.66	29,331.06	46,742.08	45,937.00	27,305.84	42,744.35	41,184.90	36,857.93	49,105.90

नोट: किए गए व्यय में केंद्र और राज्य दोनों के अंश से खर्च की गई निधियां शामिल है।

*****